सं0–2718A/69.1.2000–58 (सा)/99 टी.सी

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँक–24 जुलाई, 2000

विषय : दुर्बल वर्ग आय के आवासों का निर्माण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व संचालित शाशू उपयोजनान्तर्गत जनपद स्तर पर धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है, जबकि प्रश्नगत उपयोजना की मूल योजना दिनांक 30.11.97 को समाप्त हो गयी है। शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्रांक एव–11025/44/95–पी. एम.पी./यू.पी.ए.–4, दिनांक 23.3.2000 में उल्लेख किया है कि शासू योजना अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखी जा सकती है उक्त परियोजनाओं की समाप्ति पर ही लेखां को बन्द किया जायेगा।

2. वर्णित उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद–लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं आगरा जहाँ पर शासू योजनान्तर्गत रू0 10.00 लाख से अधिक की राशि अप्रयुक्त पड़ी है, में प्रथमतः दुर्बल वर्ग आय के आवासों का निर्माण कर लिया जाये।

3. अवगत है कि राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार योजनान्तर्गत अवमुक्त की जाने वाली कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि दुर्बल वर्ग आय के आवासों का निर्माण/सुधार हेतु निश्चित करना अनिवार्य हैं चूंकि पूर्व संचालित शाशू योजनान्तर्गत जनपद–स्तर धनराशि उपलब्ध है, जिसका अविलम्ब उपयोग किया जाना है एवं एन.एस.डी.पी. अन्तर्गत प्राप्त दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए शाशू योजना को एन.ए.डी.पी. से लिंकेज करते हुए उपर्युक्त 4 जनपदो में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ ई. डब्लू. एस. आवासों के निर्माण का निर्णय लिया गया हैः–

1. पूर्व संचालित शासू योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर उलब्ध धनराशि नियमानुसार यपया 9,950/– का ऋण एवं रूपया 1,000/– की अनुदान राशि लाभार्थी को दी जायेगी।

2. राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के दिशा निर्देश एवं शासू योजना में लिंकेज किये जाने के फलस्वरूप रूपया 5000/– की धनराशि अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रेक्चर)/स्थानीय विकास हेतु एन. एस. डी. पी. योजना से वहन की जायेगी (औसतन प्रति यूनिट)।

3. अंशदान/श्रमांक के रूप में, लाभार्थी द्वारा रूपया 4050/– की राशि वहन की जायेगी।

4. इस कार्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित लाभार्थी की व्यक्तिगत भूमि अथवा कोई अन्य भूमि जिसपर विधिक रूप से उसका निःशुल्क स्वत्व बनता हेा, पर ही योजना आच्छादित होगी।

5. भारत सरकार एवं हडको के सहायोग से चलाये जा रहे बिल्डिंग सेन्टर्स से अनुमादनोपरान्त ही आवासों का निर्माण कराया जायेगा।

6. नियमानुसार लाभार्थियों का चयन कर प्रस्ताव पर डूडा के शासी निकाय के अनुमादनोपरान्त ही आवासों का का निर्माण कराया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण एवं लाभार्थी के ऋण की वसूली तथा अन्य शर्तें/उपलब्ध पूर्ण निर्गत आदेशों के अधीन होगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार लखनऊ में कुल 690 आवास (जिसमें बरफखाना मलिन बस्ती में कुल 160 आवासों का निर्माण भी पूर्व प्रस्तावित है) तथा जनपद वाराणसी, इलाहाबाद एवं आगरा 300–300 आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा को निर्देशित कर दें कि वे शासी निकाय के अनुमोदनोपरन्त नियमानुसार आवासों का तत्काल निर्माण कराते हुए दिनांक 31.3.2001 तक कार्य पूर्ण करा लें। इस निमित्त यथावश्यक धनराशि सूडा द्वारा नियमानुसार संबंन्धित जनपदों को अवमुक्त कर दी जाये।

भवदीय

(एस0 आर0 लाखा)
सचिव

सं0–2718A/69.1.2000–58 (सा)/99 टी.सी तद्दिनांक :
प्रतिलिपि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए प्रकरणान्तर्गत हुई प्रगति से शासन एवं सूडा को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राम किशोर)
अनु सचिव